कार्यालय
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेवा में,

1— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

2— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः—गुण0वि0/निपुण आकलन—1/ 6650 /2026—27 दिनांक 12.11 2026

विषयः— डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं के माध्यम से "निपुण विद्यालय आकलन" के आयोजन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासनादेश संख्या—I/1399412/2026, 68—5099/497/2024—अनुभाग—5(बेसिक शिक्षा) दिनांक 17 जुलाई, 2026 **(संलग्नक—1)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 'निपुण भारत मिशन' का परिषदीय विद्यालयों में कक्षा—5 तक विस्तारीकरण करते हुये कक्षावार एवं विषयवार 'लक्ष्य' निर्धारित किये गये हैं। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियां कियान्वित की जा रही हैं।

2— राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक—3462/2026—27 दिनांक 06 अगस्त, 2026 द्वारा माह नवम्बर, 2026 से दिसम्बर, 2026 की अवधि में 'निपुण विद्यालय आकलन' कराये जाने के संबंध में जनपदों को बजट एवं तत्संबंधी निर्देश प्रेषित किये गये हैं। **उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त 'निपुण विद्यालय आकलन' का आयोजन दो चरणों (दिनांक 21 से 30 दिसम्बर, 2026 एवं दिनांक 20 से 30 जनवरी, 2027) में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में कक्षा 1 से 2 के कक्षावार एवं विषयवार 'लक्ष्य' संलग्न हैं।**

3— उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में 'निपुण विद्यालय आकलन' के सुचारू सम्पादन हेतु निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :—

1) डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा समस्त परिषदीय प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 1 एवं 2) में **दिनांक 21 से 30 दिसम्बर, 2026 एवं दिनांक 20 से 30 जनवरी, 2027** की अवधि में पारदर्शिता एवं शुचितापूर्वक 'निपुण विद्यालय आकलन' सुनिश्चित कराया जायेगा।
2) 'निपुण विद्यालय आकलन' हेतु विद्यालयों की **सूची पी0डी0एफ0 रूप में संलग्न** कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्राचार्य, डायट द्वारा विद्यालयों का रोस्टर तैयार करते हुये **दिनांक 15 नवम्बर, 2026 तक** राज्य परियोजना कार्यालय को सूची प्रेषित की जायेगी।
3) प्राचार्य, डायट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं को विद्यालयों का आवंटन इस प्रकार किया जायेगा कि निर्धारित समयावधि में 'निपुण विद्यालय आकलन' पूर्ण कराया जा सके। 'निपुण विद्यालय आकलन' निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही कराया जायेगा।
4) 02 डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रति कार्यदिवस संयुक्त रूप से 02 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों/कम्पोजिट विद्यालयों का भ्रमण करते हुये कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के छात्र—छात्राओं का "**निपुण+ऐप**" पर आकलन किया जायेगा।

5) कक्षा 1 एवं 2 के छात्र–छात्राओं के आकलन हेतु **निपुण+ऐप** पर छात्र–छात्राओं के नाम यादृच्छिक (Random) रूप से प्रदर्शित होंगे। **प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 24 छात्र–छात्राओं (कक्षा 1 के 12 तथा कक्षा–2 के 12 छात्र–छात्रा) का निपुण+ऐप पर आकलन किया जायेगा। कक्षा 1 एवं 2 में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या 24 अथवा इससे कम होने की दशा में समस्त छात्र–छात्राओं का आकलन किया जायेगा।**

6) डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन/टैबलेट के माध्यम से नामांकित छात्र–छात्राओं का आकलन किया जायेगा। डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा छात्र–छात्राओं को सहजता से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सही उत्तर के संबंध में किसी प्रकार की मदद नहीं की जायेगी।

7) 'निपुण विद्यालय आकलन' हेतु नामित डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं से आकलन के पूर्व एवं आकलन के पश्चात् सम्पर्क नहीं किया जायेगा। डी0एल0एड0 प्रशिक्षु अपने परिचय पत्र के साथ सम्बन्धित विद्यालय में जायेंगे तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आकलन संपादित करेंगे। 'निपुण विद्यालय आकलन' में निर्धारित रोस्टर का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8) 'निपुण विद्यालय आकलन' के दौरान कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों तथा डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं के निकट कोई शिक्षक नहीं जायेगा तथा किसी भी प्रकार से आकलन को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा। यह आकलन की शुचिता एवं निष्पक्षता के लिए अति आवश्यक है।

9) 'निपुण विद्यालय आकलन' के उपरान्त विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन को जानने का प्रयास नहीं किया जाये, न ही दबाव डाला जायेगा।

10) 'निपुण विद्यालय आकलन' हेतु निर्धारित तिथि को प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय में शत–प्रतिशत छात्र उपस्थित सुनिश्चित करायी जायेगी।

4– <u>प्रशिक्षण एवं अभ्यास</u>

1) 'निपुण विद्यालय आकलन' के सुचारू संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा माह नवम्बर, 2026 के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में समस्त एस0आर0जी0 एवं डायट मेण्टर को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2) उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त प्राचार्य, डायट के निर्देशन में एस0आर0जी0 एवं डायट मेण्टर द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं को दिनांक 30 नवम्बर, 2026 के पूर्व प्रशिक्षण एवं Hands-on कराया जायेगा, जिसमें लेखन संबंधी आकलन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं को समय–समय पर अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जायेगा।

3) राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डी0एल0एड प्रशिक्षुओं, एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) को ऑनलाइन माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा आकलन के संबंध में यूजर मैनुअल एवं प्रशिक्षण वीडियो प्रेषित किये जायेंगे।

4) 'निपुण विद्यालय आकलन' में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शिक्षकों द्वारा कक्षा–1 एवं कक्षा–2 के छात्र–छात्राओं का प्रत्येक शनिवार को निपुण+ऐप के माध्यम से आकलन किया जाये तथा लेखन कार्य हेतु छात्र–छात्राओं को नियमित अभ्यास भी कराया जाये, जिससे कि वह सहजता एवं आत्म विश्वास के साथ आकलन में प्रतिभाग कर सकें।

5– <u>तकनीकी प्रावधान</u>

1) डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा किये जाने वाले आकलन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निपुण+ऐप में geo-fencing, छात्र–छात्रा का नाम पुकारे जाने, प्रशिक्षु द्वारा छात्र–छात्रा के साथ फोटो लेने आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। इसके अतिरिक्त आकलन तिथि को विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से रैण्डम आधार पर वीडियो कॉल भी की जायेगी।

2) आकलन प्रकिया को पारदर्शी तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाये जाने के दृष्टिगत **निपुण+ऐप** में निम्नलिखित विशिष्ट तकनीकी प्रावधान भी जोड़े गये हैं :–

 a) आकलन कार्य विद्यालय अवधि में ही सम्पादित किया जा सकेगा। उक्त अवधि के पूर्व तथा पश्चात् आकलन हेतु ऐप स्वतः निष्क्रिय रहेगा।

 b) रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन ऐप कार्य नहीं करेगा।

 c) एक कार्य दिवस में 02 से अधिक विद्यालयों का आकलन नहीं किया जा सकेगा।

d) <u>तकनीकी विशिष्टियां :–</u>

लेखन कार्यों का आकलन इमेज पहचान तथा OCR सत्यापन तकनीक पर आधारित होगा। अतः आकलन के समय फोटो कैप्चर किये जाने की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत आकलनकर्ता द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है :–

1) हैण्डराइटिंग के आकलन हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के लिये एक स्वच्छ शीट प्रयोग में लायी जायेगी, जिस पर छात्र–छात्रा द्वारा लेखन संबंधी प्रश्न हल किये जायेंगे।
2) छात्र–छात्राओं को स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
3) लिखावट स्पष्ट हो, पेंसिल का रंग गहरा हो एवं अक्षरों/शब्दों के मध्य उचित दूरी हो।
4) चित्र लेते समय छात्र–छात्रा की लिखावट (Handwriting) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो।
5) चित्र लेते समय समुचित प्रकाश हो।

6– <u>"निपुण विद्यालय" घोषणा</u>

1) डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन के उपरान्त 'निपुण विद्यालय आकलन' के परिणाम की घोषणा की जायेगी।
2) हिन्दी एवं गणित दोनों विषयों हेतु निर्धारित प्रश्नों में से पृथक–पृथक 75% - 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिये जाने पर विद्यार्थी को **'निपुण विद्यार्थी'** घोषित किया जायेगा।
3) किसी विद्यालय के कक्षा–1 एवं कक्षा–2 में पृथक–पृथक 80% अथवा इससे अधिक छात्र–छात्राओं के **'निपुण'** पाये जाने पर विद्यालय को **"निपुण विद्यालय"** तथा किसी विकासखण्ड के 80% विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल किये जाने की स्थिति में **"निपुण विकासखण्ड"** घोषित किया जायेगा।

7– <u>कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों का सैम्पल आकलन</u>

कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन कराये जाने के दृष्टिगत निपुण लक्ष्य आधारित दक्षताओं पर ए0आर0पी0 के माध्यम से सैम्पल आकलन कराया जायेगा। तत्संबंधी निर्देश निम्नवत् हैं :–

1) समस्त ARP द्वारा अपने विकासखंड के स्वयं चयनित एक विद्यालय के कक्षा–1 से कक्षा–5 के विद्यार्थियों का **माह फरवरी, 2027 के प्रथम सप्ताह में** NIPUN + ऐप के माध्यम से आकलन किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के आकलन संबंधी विवरण NIPUN + ऐप पर सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज किए जाएँ।
2) कक्षा 1 से 5 के लिए आकलन हेतु 'निपुण लक्ष्य' के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) एवं वर्णनात्मक प्रश्न (Descriptive Questions) सम्मिलित किए जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा A4 आकार की शीट पर लिखे जाएँगे।
3) बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा दिए जाने के उपरांत ARP द्वारा संबंधित उत्तर सीधे NIPUN + ऐप पर अंकित किए जाएँगे।
4) ARP द्वारा उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरांत ARP द्वारा उत्तर पुस्तिका का स्पष्ट चित्र लेकर NIPUN + ऐप पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वर्णनात्मक प्रश्न के लिए प्राप्तांक भी ऐप पर दर्ज किए जाएंगे।
5) आकलन से पूर्व सभी ए0आर0पी0 को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें NIPUN + ऐप पर आकलन की प्रक्रिया, बहुविकल्पीय एवं वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर दर्ज करने, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने, उत्तर पुस्तिका ऐप पर अपलोड करने तथा प्राप्तांक अंकित करने की प्रक्रिया से भली–भाँति अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण आदि के संबंध में सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

8– <u>अनुश्रवण</u>

1) 'निपुण विद्यालय आकलन' के सुचारू संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय में **कंट्रोल रूम** की स्थापना की जायेगी। तत्संबंधी मण्डलवार हेल्पडेस्क/हेल्पलाइन नम्बर की सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2) आकलन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिये विद्या समीक्षा केन्द्र (फोन नं0 0522–3538777) पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

3) आकलन के सुचारू संचालन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय में भी कंट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी। आकलन संबंधी किसी भी समस्या के लिए डायट एवं जिला परियोजना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम, एस0आर0जी0 तथा संबंधित ब्लॉक के डायट मेंटर से भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

4) 'निपुण विद्यालय आकलन' के संबंध में विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया जायेगा।

5) 'निपुण विद्यालय आकलन' पूर्ण पारदर्शिता तथा शुचिता के साथ आयोजित किया जायेगा। आकलन की शुचिता तथा पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रयास को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सर्वसंबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

6) किसी विद्यालय के पारदर्शितापूर्वक आकलन सम्पन्न नहीं किये जाने की दशा में उस विद्यालय का पुनः आकलन कराया जायेगा।

7) **'निपुण विद्यालय आकलन' के उपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर डेटा विश्लेषण किया जायेगा। तद्नुसार राज्य परियोजना कार्यालय एवं एस0सी0ई0आर0टी0 के निर्देशन में रैण्डम आधार पर आकलन का 5% रैण्डम सत्यापन भी कराया जायेगा।**

9– रिपोर्ट कार्ड का मुद्रण

'निपुण विद्यालय आकलन' में प्रतिभागी छात्र–छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड एन0बी0एम0सी0 पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा तथा रिपोर्ट कार्ड मुद्रित कराकर छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को उपलब्ध कराया जायेगा। आकलन के परिणाम की घोषणा के उपरान्त पी0टी0एम0 आयोजित की जायेगी, जिसमें अभिभावकों के साथ 'निपुण विद्यालय आकलन' के परिणाम साझा किये जायेंगे।

10–निपुण सम्मान समारोह

1) शिक्षकों द्वारा किये गये प्रयास को प्रशंसित एवं प्रसारित किये जाने के उद्देश्य से 'निपुण विद्यालय' के रूप में घोषित विद्यालयों में 'निपुण विद्यालय' का 'लोगो' पेंट किया जायेगा, ताकि संबंधित विद्यालय के संबंध में जनमानस के समक्ष सकारात्मक छवि उत्पन्न हो सके। तत्संबंधी 'निपुण विद्यालय' के लोगो का **प्रारूप संलग्न** है ।

2) 'निपुण विद्यालय आकलन' के परिणाम की घोषणा के उपरान्त 'निपुण सम्मान समारोह' का आयोजन किया जायेगा। इस समारोह में सभी निपुण विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

11–वित्तीय प्राविधान

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–3462/2026–27 दिनांक 06 अगस्त, 2026 एवं पत्रांक–वि0नि0/पी0एफ0एम0एस0/6105/2026–27 दिनांक 14 अक्टूबर, 2026 **(प्रति संलग्न)** द्वारा 'निपुण विद्यालय आकलन', 'निपुण सम्मान समारोह' एवं आकलन हेतु रिपोर्ट कार्ड के मुद्रण हेतु जनपदों को धनराशि संबंधी लिमिट प्रेषित की जा चुकी है। उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1) 'निपुण विद्यालय आकलन' हेतु प्रत्येक डी0एल0एड0 प्रशिक्षु को प्रति कार्यदिवस 02 विद्यालयों के आकलन हेतु रू0 600/– की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2) डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य निकटस्थ जनपदों में जाकर उक्त आकलन कराये जाने की स्थिति में प्रति प्रशिक्षु प्रति कार्य दिवस 02 विद्यालयों के आकलन हेतु रू0 1000/– की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

3) 'निपुण विद्यालय आकलन' में प्रतिभागी छात्र–छात्राओं के **रिपोर्ट कार्ड** के विद्यालय स्तर पर मुद्रण हेतु रू0 2/– प्रति छात्र–छात्रा की दर से जनपदों को धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गयी है।

4) **निपुण सम्मान समारोह** के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 01 लाख की दर से बजट संबंधी लिमिट जारी की गयी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ 'निपुण विद्यालय आकलन' सम्पन्न कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

10/11/2026

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

पृ0सं0: गुण0वि0/निपुण आकलन–1/ 6650 /2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।

10/11/2026

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक

डी0एल0एड0 प्रशिक्षुओं के माध्यम से माह दिसम्बर, 2026 एवं जनवरी, 2027 में आयोजित कराये जाने वाले आकलन हेतु निर्धारित दक्षतायें

कक्षा–1		
	आकलन हेतु प्रस्तावित प्रश्न	
मौखिक भाषा विकास	कोई भी परिवेशीय/सुनी हुई कविता/गीत की चार पंक्तियां हाव–भाव के साथ सुनाना।	
पढ़ना	4 से 5 सरल शब्दों से बने हुये 04 वाक्यों को पढ़ने में सक्षम है।	
लेखन कार्य	05 सरल शब्दों से बने हुये 02 वाक्यों को सुनकर लिखना।	
संख्यात्मक	1.	**गिनती एवं संख्या पहचान** : 20 तक अंकों की गिनती एवं पहचान।
	2.	**जोड़ एवं घटाव** : वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से 09 तक की संख्या का जोड़ एवं घटाव (योग 20 से अधिक न हो)।
	3.	**नोट एवं सिक्कों की पहचान** : ₹20 तक की भारतीय मुद्रा (नोट एवं सिक्कों का चित्र) की पहचान।
	4.	**पैटर्न** : चित्र एवं संख्या के सरल पैटर्न की पहचान करना एवं आगे बढ़ाना।
कक्षा–2		
मौखिक भाषा विकास	कोई भी परिवेशीय या सुनी हुई 06 पंक्तियों की कविता या गीत हाव–भाव के साथ सुनाना।	
पढ़ना	सरल शब्दों से बने 6 से 8 वाक्यों के आयु उपयुक्त अज्ञात अनुच्छेद को उचित प्रवाह, स्पष्टता से पढ़ना और 03 तथ्यात्मक तथा 01 उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना।	
लेखन कार्य	05 सरल शब्दों से बने हुये 04 वाक्यों को सुनकर लिखना।	
संख्यात्मक	1.	**गिनती एवं संख्या बोध** : 99 तक की संख्या की गिनती, पहचान एवं तुलना।
	2.	**जोड़ एवं घटाव** : 99 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना (हासिल और बिना हासिल वाले सवाल)।
	3.	**गुणा एवं भाग** : सरल जोड़ के माध्यम से गुणा और समान वितरण/बँटवारे के रूप में भाग के प्रश्नों को हल करना।
	4.	**नोट एवं सिक्कों का उपयोग** : ₹ 100 तक की भारतीय मुद्रा (नोट एवं सिक्कों) के प्रयोग से सरल लेन–देन से संबंधित प्रश्न।
	5.	**पैटर्न** : चित्र एवं संख्या के पैटर्न की पहचान एवं निर्माण करना ।

निपुण विद्यार्थी के लिये मापदण्डः–

- **भाषा** में निर्धारित दक्षताओं पर 75% प्रश्नों के सही उत्तर देना।
- **गणित** में निर्धारित दक्षताओं पर 75% प्रश्नों के सही उत्तर देना।

=> भाषा एवं गणित दोनों विषयों हेतु निर्धारित प्रश्नों में से 75% - 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिये जाने पर विद्यार्थी को **'निपुण विद्यार्थी'** घोषित किया जायेगा।

———

संलग्नक

'निपुण विद्यालय' लोगो



निपुण विद्यालय